रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269676
CG-DL-E-30012026-269676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 75]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 76(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (परिवहन), ईमेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 81 की तालिका में:-
i. क्रम संख्या (11क) में, (घ) और (ड.) में क्रम संख्या (2) में प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(घ) मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन .... (2) 13 वर्ष से पुराने, परंतु 15 वर्ष से अधिक नहीं	.... (2) दो हजार पांच सौ रुपये	62(2)	
(ड.) भारी माल या यात्री मोटर वाहन .... (2) 13 वर्ष से पुराने, परंतु 15 वर्ष से अधिक नहीं	.... (2) दो हजार पांच सौ रुपये		

[फा. सं. आरटी-223013/8/2025-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

G.S.R. 76(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (….. Amendment) Rules, 2025

(2) They shall come into force from the date of publication of the notification.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 81, in the TABLE:-

i. In serial number (11A), the entries at S.No. (2) in (d) and (e) shall be substituted as under: -

<table>
<tr><td>(d) Medium goods or passenger motor vehicle
……………………………………………………..
(2) older than 13 years but not exceeding 15 years
…………………………………………………….</td><td>…………………………………
(2) Two thousand five hundred rupees
………………………………….</td><td rowspan="2">62(2)</td><td></td></tr>
<tr><td>(e) Heavy goods or passenger motor vehicle
……………………………………………………..
(2) older than 13 years but not exceeding 15 years
…………………………………………………….</td><td>…………………………………
(2) Two thousand five hundred rupees
………………………………….</td><td></td></tr>
</table>

[F. No. RT-23013/8/2025-T]

MAHMOOD AHMED, Addl Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. …….. (E) dated ………………...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.01.30 22:30:30 +05'30'